पत्रांक /   /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0 03 /12–13/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून :: अक्टूबर, 2013

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1150/2010/19(120)/XXVII(8)/2012 दिनांक 07.10.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम–2005 के नियम–11 में ऐसे व्यौहारी (कम्पनी को छोड़कर) एवं ऐसे व्यक्ति (कम्पनी को छोड़कर) जो **आपदाग्रस्त रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी अथवा पिथौरागढ़ जनपद** में विज्ञप्ति जारी होने की दिनाँक तक पंजीकृत है, के लिए कर–निर्धारण वर्ष 2013–14 की प्रथम तीन त्रैमास की सावधिक विवरणियाँ विलम्ब शुल्क का भुगतान किए बिना दिनाँक 25–04–2014 तक दाखिल किये जाने से अवगत कराया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)**

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 3128 /दिनांक उक्त।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, वित उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इन्द्रानगर, देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
4– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।
6– एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
7– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने**

अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

9– **ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

10– **श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0–3) देहरादून एवं Web-Information Officer को NIC एवं विभागीय Website पर Update करने हेतु।**

11– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रूड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।

12– **आई0टी0–अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।**

13–Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13– आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई–400001 महाराष्ट्र।

14–National Law House बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

15–National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

16–Swastk Publication एस0ई–233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।

17–Law Book Traders 10–नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।

18–डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।

19–अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।

20–प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।

21–दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।

22– प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेंडिंग कम्पनी 81– मोती बाजार देहरादून।

23–The whole sale dealers Association 14– आढ़त बाजार देहरादून।

24– प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।

25– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

26– शोघ अनुभाग/स्थापना– अनुभाग मुख्यालय हेतु।

27– समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

Vijapti2

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0 /2013/ 19(120) /XXVII(8)/2012
दिनांक:: देहरादूनः: 07 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2013

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष, 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, ऐसे ब्यौहारी (कम्पनी को छोड़कर) एवं ऐसे व्यक्ति(कम्पनी को छोड़कर) जो आपदाग्रस्त रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी अथवा पिथौरागढ़ जनपद में इस विज्ञप्ति के जारी होने की दिनांक तक पंजीकृत हैं एवं अधिनियम के अन्तर्गत कर के लिए दायी हैं अथवा अधिनियम की धारा 35 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी हैं, द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2013–14 से संबंधित, दिनांक 30 जून, दिनांक 30 सितम्बर एवं दिनांक 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले त्रैमास की सावधिक विवरणियॉ, विलम्ब शुल्क का भुगतान किए बिना 25 अप्रैल, 2014 तक दाखिल की जा सकती हैं किन्तु कर/समाधान राशि अथवा टी0डी0एस0 का भुगतान नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

<u>सं0 1150/2010/19(120) /XXVII(8)/2012 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

....वि.(8).......अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

7618
8/10/13

आज्ञा से,

(सौजन्या)
अपर सचिव, वित्त।

S.D:/New Vigyapti/ Disaster Four Distric(10-09-2013)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1150 /2013/19(120)/XXVII(8)/2012 dated 07 ~~September~~ October, 2013 for general information.

Government of Uttarakhand
VITTA ANUBHAG-8
NO. 1150 /2013 / 19(120)/ XXVII(8)/ 2012
Dehradun :: Dated:: 07 ~~September~~ October, 2013

Notification

Where as the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 and section 35 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act. 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding anything contained in rule 11 of the Uttarakhand VAT Rule, 2005, the Governor is pleased to declare that the dealers (other than the companies) and the persons(other than the companies) who upto the date of issue of this notification are registered in the disaster affected districts of Rudraprayag, Chamoli, Uttarkashi or Pithoragarh and are liable to tax under the Act or responsible for making deduction of tax at source under the provisions of section 35 of the Act, may file their periodical returns for the periods, quarter ending 30 June, quarter ending 30 September and quarter ending December 31 relating to the assessment year 2013-14 upto 25th April, 2014 without payment of late fee; provided that the payment of tax/ composition money or TDS shall be made within the time as prescribed in rule 11.

(Rakesh Sharma)
Additional Chief Secretary.

S.D:/New Vigyapti/ Disaster Four Distric(10-09-2013)